रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 1992/वैशाख 17, 1914
No. 18] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 1992/VAISAKHA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

आ.अ. 29(अ).—चूंकि 1.नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एल. के. आडवाणी के त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

और, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग ने तारीख 10 अक्तूबर, 1991 की अपनी अधिसूचना सं. 100/दिल्ली-लो.स./1/91(1) द्वारा उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की कि वे 19 नवम्बर, 1991 से पहले उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें;

और, उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर ने उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी श्री एम.के. गर्ग की मृत्यु हो जाने के कारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 के अधीन उक्त निर्वाचन प्रत्यादिष्ट कर दिया था;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार, उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से दोबारा यह अपेक्षा करता है कि 11 जून, 1992 (बृहस्पतिवार) से पहले उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए एक सदस्य निर्वाचित कर दें।

[सं० 492/दिल्ली-लो.स./1/91(1)(उप)]
आदेश से
ह. हीरा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1992

O.N. 29(E):—Whereas a vacancy had occurred in the House of the People by reason of resignation of Shri L.K. Advani, a member elected to that House from 1-New Delhi Parliamentary Constituency;

And whereas in pursuance of provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission vide its Notification No. 100/DL-HP/1/91(1), dated 10th October, 1991, called upon the said Parliamentary Constituency to elect a person to fill the said vacancy before 19th November, 1991;

And whereas the Returning Officer for the said Parliamentary constituency countermanded the aforesaid election under section 52 of the Representation of the People Act, 1951, owing to death of Shri M.K. Garg, a contesting candidate from the constituency;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby again calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy in accordance with provisions of said Act and the Rules and Orders made thereunder before 11th June, 1992 (Thursday).

[No. 492/DL-HP/1/91(1) (Bye)]

By Order,

H. HIRA. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

आ.अ. 30(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग तारीख 7 मई, 1992 की अपनी अधिसूचना सं. 492/दिल्ली-लो.स./1/91(1)(उप) के अनुसरण में, दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के 1—नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	14-5-1992 (बृहस्पतिवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	15-5-1992 (शुक्रवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	18-5-1992 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	8-6-1992 (सोमवार)
(ङ)	वह तारीख जिसमें पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा	11-6-1992 (बृहस्पतिवार)

नियत करता है।

[सं. 492/दिल्ली-लो.स./1/91(2)(उप)]

आदेश से,

ह. हीरा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1992

O.N. 30(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints with respect to the bye-election to be held to the House of the People from 1-New Delhi Parliamentary Constitutency in the Union Territory of Delhi in pursuance of its Notification No. 492/DL-HP/1/91(1)(Bye) dated the 7th May 1992.

(a)	as the last date for making nomination;	14-5-1992 (Thursday)
(b)	as the date for scrutiny of nominations;	15-5-1992 (Friday)
(c)	as the last date for withdrawal of cadidatures;	18-5-1992 (Monday)
(d)	as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and	8-6-1992 (Monday)
(e)	as the date before which the election shall be completed.	11-6-1992 (Thursday)

[No. 492/DL-HP/1/91(2) (Bye)]

By order,

H. HIRA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

आ.अ. 31(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग तारीख 7 मई, 1992 की अपनी अधिसूचना सं. 492/दिल्ली-लो.स./1/91(1)(उप) के अनुसरण में 1—नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के लिए 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं. 492/दिल्ली-लो.स./1/91(3)(उप.)]

आदेश से,

ह. हीरा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1992

O.N. 31(E):—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.00 A.M. to 5.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to be held to the House of the People from 1-New Delhi Parliamentary Constituency in pursuance of its Notification No.492/DL-HP/1/91(1) (bye), dated the 7th May, 1992.

[No. 492/DL-HP/1/91(3) (Bye)]

By order,

H. HIRA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992